



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या- 47/2023/1213/77-3099/73/2023
लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-4246/77-4-07-94भा0/07टीसी दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करतीं हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, अंक और शब्द "अपर गंगा नहर के दांये तट पर सनौटा सेतु (जिला-बुलन्दशहर) से उत्तर प्रदेश-उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (जिला-मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे एवं लिंक एक्सप्रेसवे (मेरठ एयरपोर्ट लिंक, देवबंद लिंक, मसूरी एन0एच0-24 एवं भविष्य में 25 किमी0 लम्बाई के दो लिंक); जल विद्युत गृह (नीरगाजनी, जौली, चित्तौड़ा, सलावा, भोला, जानी एस्केप एवं डासना), जल परिवहन सुविधा (ऐच्छिक) एवं लैण्ड पार्सल (ऐच्छिक) का विकास, क्षेत्र के सुनियोजित औद्योगिक एवं नगरीय विकास हेतु और "आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना" "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)", "गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)", "बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)", "प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना (औद्योगिक विकास क्षेत्र)", "गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना" (मेरठ से प्रयागराज तक) (औद्योगिक विकास क्षेत्र), "बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना" (औद्योगिक विकास क्षेत्र), के पश्चात् शब्द "चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना" (औद्योगिक विकास क्षेत्र), " बड़ा दिए जायेंगे।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
6. मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
7. जिलाधिकारी, गोरखपुर, संतकबीरनगर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली एवं लखनऊ।
8. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि असाधारण गजट दिनांक 21.09.2023 के विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (ख) में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 50 प्रतियां छपवाकर औद्योगिक विकास अनुभाग-3 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Audyogik Vikas Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 47/2023/1213/LXXVII-3099/73/2023, dated , 21 September, 2023

Notification

No. 47/2023/1213/LXXVII-3099/73/2023

Lucknow ; dated : 21 September, 2023

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no.6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification No.4246/LXXVII-04-07-94bha/07T.C., dated December 27, 2007, as amended from time to time.

AMENDMENT

IN the aforesaid notification after the figures and words, “08 Lane Access Controlled Expressway on the right bank of Upper Ganga Canal from Sanouta Bridge (District Bulandsahar) to near Purkaji (District Muzzafarnagar), before Uttar Pradesh-Uttarakhand Border along with Link Expressway (Meerut Airport Link, Deoband Link, Masuri NH-24 and 25 Kms. long two future links); Hydro Electric Power Station (Nirgajini, Jauli, Chitaura, Salawa, Bhola, Jani escape and Dasna), Navigation Facilities (optional) and Development of Land Parcels (optional) for the planned industrial and Urban development of the area and ‘Agra Lucknow Access Controlled Expressway (Green field) Project’, ‘Purvanchal Expressway Project (The Industrial Development Area)’, ‘Gorakhpur Link Expressway Project (The Industrial Development Area)’, ‘Bundelkhand Expressway Project (The Industrial Development Area)’, ‘Prayag Link Expressway Project (The Industrial Development Area)’, ‘Ganga Expressway Project’ (from Meerut to Prayagraj) (The Industrial Development Area)’, ‘Ballia Link Expressway Project’ (The Industrial Development Area)’ the words ‘Chitrakoot Link Expressway Project’ (The Industrial Development Area)’ shall be inserted.

By order,

(Anil Kumar Sagar)
Principal Secretary.

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।